न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27/2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. मन्ना पिता श्री थावरा, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हेमा पिता श्री थावरा, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मडीया पिता श्री जोति, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. हुरजी पिता श्री मडिया, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कालिया पिता श्री खुमा उर्फ खोमा, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हरदार पिता होमजी के वारिसान :–

2/1. श्रीमती खामली बेवा हरदार, जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2. श्रीमती सविता पुत्री हरदार (पत्नी रमेश पिता मोतिया) जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/3. श्रीमती सकुडी पुत्री हरदार (पत्नी महेश पिता गलिया) जाति भील, निवासी पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 30.05.2012, प्र.सं. 201/2006

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मुकेश त्रिवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री एम.के. गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय दिनांक 15–11–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता खुमा उर्फ खोमा पिता धीरा भील जिनका देहान्त हो चुका है। सन् 1945–46 भू–प्रबन्ध विभाग के खाता नंबर 9 में वादी के पिता के नाम वाद पत्र की कलल संख्या 1 में वर्णित किता 6 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज है। वादी के दादा धीरा के केवल एक ही पुत्र हुआ जो वादी के पिता थे तथा यह भूमि खुमाजी की निजी सम्पत्ति थी जो उनकी स्वअर्जित थी एवं मौरूसी नहीं थी। खुमाजी के देहान्त के बाद विरासत से नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 21–12–1977 एक मात्र वादी वारिस होने उसके नाम दर्ज हुआ तब से वादी इस भूमि पर बतौर खातेदार होकर फसल प्राप्त करता आ रहा है तथा 2 टापरे आराजी नंबर 115 व एक टापरा आराजी नंबर 73 पर बना रखा है, जिसमें अपने मवेशी बांधता है व खाद, बीज व कटी फसल को रखता है। उक्त साबिक आराजीयात के नये नंबर संवत् 2041 में दर्ज किये गये जो वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार कुल किता 16 रकबा 5.45 हैक्टर कायम किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सकूनत क्या हैं, वे कहां के रहने वाले हैं इस बारे में वादी को ज्यादा जानकारी नहीं है वह केवल इतना जानते हैं कि विगत कुछ वर्षो से ये तीनों गांव के पटेल मडिया एवं उसके सरपंच पुत्र हूरजी के लिए मजदूरी करते हैं, जो काफी प्रभावशाली लोग हैं। मड़िया व हूरजी ने भू–प्रबन्ध के समय भूमि हड़पने के लिए भू–प्रबन्ध कर्मचारियों से सांठ–गांठ की तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता थावरा व प्रतिवादी संख्या 3 होमजी को वादी के पिता खुमा का सगा भाई बता दिया और कालिया के एक मात्र स्वत्व, हित एवं अधिकार की भूमि पर थावरा उप हरदार को सहखातेदार के रूप में दर्ज करवा दिया। माह जनवरी 2006 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी की आराजी नंबर 115 व 73 पर स्थित तीनों टापरों को जोर जबरदस्ती से वादी को बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लिया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने उक्त प्रतिवादीगण का पूरा सहयोग किया व वादी को बिना किसी कानूनी कार्यवाही के थाने में बन्द करवा दिया। पुलिस उनक कहने में है और वादी द्वारा जब भी प्रतिवादीगण

की गैर कानूनी कार्यवाही का विरोध किया जाता है तो पुलिस वादी को जबरन पकड़कर ले जाती है और थाने में बन्द कर देती है। वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण ने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों से मिलकर एक फर्जी खसरा परिशोधन पत्र क्रमांक 9 तैयार करवाया जिसमें वादी की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर उसके फर्जी अंगूठा लगवा दिया, जबकि वादी ने कभी भी भू–प्रबन्ध विभाग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवादी हरदार को अपना भतीजा और प्रतिवादी के पिता मन्ना व हेमा के पिता थावरा को अपना काका होना स्वीकार नहीं किया है। वादी के दादा धीरजी के एक मात्र पुत्र खूमा उर्फ खोमा जी ही हुए। प्रतिवादीगण का वादी की सम्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित आरायिजात का एक मात्र खातेदार वादी को घोषित किया जावे तथा खसरा परिशोधन पत्र को शून्य, अवैध व क्षेत्राधिकार विहीन घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि पर वादी व प्रतिपादी संख्या 1 से 3 अपने पिता के समय से लगभग 60 वर्षो से अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज चले आ रहे हैं व अपने–अपने मकानों में निवास करते हैं। जनवरी 2006 में प्रतिवादीगणों द्वारा टापरों पर कब्जा करने का तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण तीनों मकानों पर 60 वर्षो से निरन्तर निवास करते चले आ रहे हैं। विशेष कथन में बताया कि धीरा जी के तीन पुत्र खोमा, होमजी व थावरा हुए। खोमा का पुत्र वादी कालिया है। थावरा के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं तथा होमजी का पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 है। वादग्रस्त भूमि तीनों भाईयों ने संयुक्त श्रम से मिलकर निकाली, किन्तु खोमा बड़ा भाई होने से भील रीति रिवाज अनुसार उसके अकेले के नाम दर्ज हो गयी, किन्तु वास्तविक रूप से कब्जा मौके पर तीनों भाईयों का संयुक्त रूप से रहा। वादी की सहमति से 22 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम विधिवत जोड़ा गया है, जिसे वादी अब चुनौती नहीं दे सकता तथा वादी विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है।

प्रकरण में दिनांक 13–09–2007 को निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या सन् 1945–46 के खाता संख्या 9 के कुल खेत 9 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा वादी के पिता खूला के नाम दर्ज थे, जो उसकी निजी सम्पत्ति है। खूमा की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि विरासत नामान्तरकरण संख्या 40 से वादी के नाम दर्ज हुई तथा वादी की कब्जे काश्त में है। वादी के तीन टापरे बने हैं। नये भू–प्रबन्ध में उक्त भूमि के नये नंबर खाता संख्या 59 कुल खेत 16 कुल रकबा 4.45 हैक्टर दर्ज हुआ है ? .....वादी
2. क्या प्रतिवादीगण ने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों से सांठगांठ करके प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता थावरा, प्रतिवादी 3 के पिता होमजी को वादी के पिता खूमा का सगा भाई बता दिया और कालिया के एक मात्र स्वत्व की भूमि पर थावरा एवं हरदार को सहखातेदार के रूप में दर्ज करवा दिया ? .....वादी
3. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी की आराजी नंबर 115, 73 पर स्थित तीन टापरों पर जोर जबरदस्ती से वादी को बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लिया ? .....वादी
4. क्या प्रश्नगत भूमि धीरा के तीन पुत्र खोमा, होमजी व थावरा द्वारा निकाली गयी थी, लेकिन वेट प्रथा होने से बड़े भाई खोमा के नाम दर्ज हुई लेकिन मौके पर तीनों अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं तथा मकान भी बने हैं, जिसमें निवास करते हैं ? .....प्रतिवादी
5. क्या वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम खाते में जुड़वाने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया तथा मौके पर कब्जा काश्त होने से विधिवत नाम दर्ज किये गये ? .....प्रतिवादी
6. दादरसी ?

प्रकरण में उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–05–2012 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–07–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एम. के. गांधी

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से वकील श्री नारायणलाल व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक तथा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 के अधिवक्ता ने बहस में भाग नहीं लिया। राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आयी शहादत व राजस्व रेकार्ड का विधिवत विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली को नहीं माना है, जबकि वादी ने अपने मौखिक बयानों में यह साबित नहीं किया है कि अपीलान्टगण कहां कि रहने वाले हैं तथा उनकी अड़क क्या है, इस पर भी वादी मौन है, जबकि वादी को यह साबित कराना था कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसके वंश के नहीं हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में आराजी नंबर 115 व 73 के तीनों टापरों से अपीलान्टगण को बेदखल करने की मांग की है, किन्तु इस बिन्दु को वादी ने साबित नहीं कराया है कि आराजी नंबर 115 व 73 पर तीन टापरे बने होना साबित नहीं कराया है, जिससे बिन्दु संख्या 3 वादी के विरूद्ध निर्णित हुआ है। अपीलान्टगण ने मौके की जांच ही निवेदन किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने ठुकरा दिया। अपीलान्टगण 60 वर्षो से विवादित भूमि पर काबिज होकर उस पर बने टापरों में निवास करते चले आ रहे हैं। खसरा परिशोधन पत्र रेस्पोन्डेन्ट/वादी की सहमति से जारी हुआ है, जिसे वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में छुपाया है, जिससे वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादी की सहमति से खसरा परिशोधन पर जारी होने से वादी द्वारा उसे

चुनौती नहीं दी जा सकती तथा वादी साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत विवेध का सिद्धान्त लागू होता है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होन से वाद मयाद बाहर है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 1 के सन्दर्भ में उक्त भूमि को वादी के पिता खुमा की निजी सम्पत्ति माना है तथा नामान्तरकरण जो वादी के नाम स्वीकृत हुआ है उसे सही माना है तथा इस तनकी में वादग्रस्त भूमि पर तीनों टापरे बने होने का भी उल्लेख किया है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रथम दृष्टया औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि भूमि मौरूस खुमा जी के समय की थी।

प्रकरण में जहां तक वाद बिन्दु संख्या 2 का प्रश्न है, भू–प्रबन्ध की सक्षमता ही नहीं है कि वह हस्तान्तरण, मृत्यु अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना इस प्रकार के परिशोधन पत्र जारी करें उसे तो पूर्व प्रविष्टि को ही दोहराना होता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो खसरा परिशोधन पत्र जारी किया गया है वह भले ही सहमति से हो, परन्तु उक्त सहमति विधिक नहीं है एवं इस प्रकार की सहमति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में कोई भी अधिकार सृजित नहीं होते हैं, जैसाकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2009–10 (Supp.) पेज 143 पर प्रतिपादित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिन्दु संख्या 3 में तीनों टापरें आराजी नंबर 115 व 73 वादी द्वारा बनाये हुए नहीं माना है तथा उक्त टापरों पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा करना व वादी को बेदखल करना नहीं मानते हुए यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है, जो उपलब्ध साक्ष्य अनुसार होकर औचित्य पूर्ण है।

तनकी नंबर 4 के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गयी

हो, तदनुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है, जिसे त्रुटि पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

जहां तक तनकी संख्या 5 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय भू–प्रबन्ध की सक्षमता नहीं होने बाबत् तथा सजरे के प्रमाणन का दायित्व वस्तुतः प्रतिवादीगण का होने से यह तनकी प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं करा सकते के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार औचित्य पूर्ण है।

समग्र रूप से अधिनस्थ न्यायालय ने हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 के सम्बन्ध में भी आराजी नंबर 115 व 73 पर बने टापरों बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट को जो विधिक अनुतोष नहीं दिया गया है, उसे भी हम बहाल रखना उचित समझते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शेष तनकियों पर पारित निर्णय भी औचित्य पूर्ण होने से उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मन्ना पिता थावरा, जाति भील, नि0 पांच महुडा, तह0 बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **कालिया पिता खुमा उर्फ खोमा भील, नि0 पांच महुडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**27 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बागीदौरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**05**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**15**....माह.....**.11**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री मुकेश त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री महेन्द्र कुमार गांधी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.15**.....माह.....**.11**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।